

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-1/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)03-61-03/2015(खण्ड)- 38

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 06.07.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूर्तियों मद में ₹ 1264.83 लाख (बारह करोड़ चौसठ लाख तेरासी हजार रू०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष-2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूर्तियों मद में ₹ 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-22 दिनांक-08.06.17 द्वारा प्रदान की है। आवंटित राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी० भी०, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृत राशि में से कुल ₹ 1264.83 लाख (बारह करोड़ चौसठ लाख तेरासी हजार रू०) मात्र आवंटित की जाती है।

3- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृति के आलोक में सामग्री व पूर्तियों मद की गत वर्ष के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।


5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।


ज्ञापांक-1/निदे० छात्रावास(सामग्री एवं पूर्तियों)03-61-03/2015(खण्ड)-38 पटना, दिनांक-06.07.17

प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, /संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक 7/17

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना अन्तर्गत
अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों
एवं अन्य छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि

क्रमांक	जिला का नाम	राशि रूपया में
		सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि
1	2	3
1	पटना	4206000
2	नालन्दा	5435000
3	भोजपुर	5270000
4	बक्सर	2150000
5	रोहतास	5284800
6	भभुआ	3891900
7	गया	21190000
8	जहानाबाद	3065000
9	नवादा	6828000
10	औरंगाबाद	2171000
11	अरवल	2500000
12	सारण	1960000
13	गोपालगंज	2376000
14	सीवान	1433800
15	पूंचम्पारण	2200000
16	प०चम्पारण	4500000
17	मुजफ्फरपुर	7100000
18	सीतामढी	2731000
19	वैशाली	2300000
20	शिवहर	1365500
21	दरभंगा	1800000
22	समस्तीपुर	4200000
23	मधुवनी	2000000
24	सहरसा	2500000
25	सुपौल	950000
26	मधेपुरा	2000000
27	पूर्णियां	2700000
28	कटिहार	2400000
29	अररिया	2125000
30	किशनगंज	2400000
31	भागलपुर	2500000
32	बोंका	1500000
33	मुंगेर	2150000
34	शेखपुरा	1600000
35	लखीसराय	1500000
36	खगड़िया	2400000
37	जमुई	1500000
38	बेगूसराय	2300000
	कुल योग	126483000

(बारह करोड चौसठ लाख तिरासी हजार रूपया मात्र)

पत्रांक 38 दिनांक 06.07.17 का अनुवीनक

10mm

निदेशक 7/11/17